आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर
दिनांक : 05.04.2024
समय : 0705

<><><><><><><>

- आगामी लोकसभा के मद्देनजर द्वीपों के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सत्रह से उन्नीस अप्रैल और चार जून मतगणना के दिन ड्राई डे की घोषणा की है।
- आज इकसठवां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है।
- चुनाव के दौरान एस एम एस के गलत इस्तेमाल और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरूपयोग को रोकने के लिए पुलिस विभाग की ओर से आम जनता के लिए एक समर्पित व्हाट्सऐप नम्बर जारी किया गया है।
- निकोबार ज़िले में शोम्पेन आदिम जनजाति के मतदाताओं के लिए दो मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
- निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया, जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते।

<><><><><><><>

आगामी लोकसभा के मद्देनजर द्वीपों के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सत्रह से उन्नीस अप्रैल और चार जून मतगणना के दिन ड्राई डे की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले प्रतिष्ठानों को इस दिन किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश अनिडको, सीएसडी यूनिट्स कैंटीन, सभी डिफेंस कैंटीन, पुलिस मेस और सभी निजी बार लाइसेंसधारियों पर भी लागू होगा। द्वीपसमूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी.एस. जगलान ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने और ड्राई डे की घोषणा को सही तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि द्वीपसमूह में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।

<><><><><><><>

आज इकसठवां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर द्वीपों के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। यह वर्ष ''सतत नौवहन चुनौतियां और अवसर'' विषय के रूप में मनाया जा रहा है। अपने संदेश में उप राज्यपाल ने कहा कि द्वीपसमूह समुद्री

संसाधनों से समृद्ध है और समुद्र के माध्यम से हमारी कनेक्टिविटी, हमारी पहचान और समृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय हमें पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने और समुद्री उद्योग के भीतर नवीन समाधानों को अपनाने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह हमारे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने का भी आह्वान कराता है। उन्होने कहा कि इस दिन हम सतत नौवहन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक विरासत देने का प्रयास करें। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने अपने संदेश में लोगों से सतत नौवहन की गंभीर चुनौतियों को हल करने के लिए एक साथ आगे आने का आग्रह किया है। नौवहन सचिव ने भी लोगों को राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि समुद्री उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और द्वीपसमूह के विकास और कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

<><><><><><><>

चुनाव के दौरान एस एम एस के गलत इस्तेमाल को रोकने तथा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से आम जनता के लिए एक समर्पित व्हाट्सऐप नम्बर जारी किया गया है। आम जनता नौ पांच तीन एक आठ पांच छः शून्य आठ तीन पर डायल कर आपत्तिजनक संदेशों की जानकारी दे सकते है। जानकारी देते समय उन्हें संदेशवाहक के नम्बर आदि का विवरण देना होगा। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस जांच–पड़ताल करेगी और नियमों के तहत कार्रवाई करेगी। इसके माध्यम से ऑनलाइन अपराध को भी रोका जा सकेगा। पुलिस ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए नागरिकों से सहयोग की कामना करते हुए उनसे सतर्क रहने और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया के दुरूपयोग व एस एम एस के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट देकर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सहयोग देने को कहा है।

<><><><><><><>

निकोबार ज़िले में शोम्पेन आदिम जनजाति के मतदाताओं के लिए दो मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ज़िला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने बताया कि यदि शोम्पेन आदिम जनाजाति अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ई वी एम के बारे में इनको जानकारी दी गई है और इन आदिम जनजाति के मतदाताओं ने बड़े उत्साह से जानकारी हासिल की।

उन्होंने कहा कि दूर–दराज के मतदान केन्द्रों में किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए भी योजना बनाई गई है।

<><><><><><><>

निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केन्द्र से डाक मतपत्र के जरिये मतदान कर सकते हैं। आयोग ने लोगों से जागरुक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने को कहा है। प्रामाणिक जानकारी के लिए लोगों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखने को कहा गया है।

<><><><><><><>

एम.वी. स्वराजद्वीप सात अप्रैल को सुबह दस बजे चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए छूटेगा। यह जहाज दस अप्रैल को पोर्ट ब्लेयर पहुंचेगा।

<><><><><><><>